प्रेषक

अति–आवश्यक

कल्याण आयुक्त, हरियाणा,
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड,
बेज़ नं0 29–30, पॉकेट–II,
सैक्टर–4, पंचकूला।

सेवा में

1. सभी उप श्रम आयुक्त (कल्याण), हरियाणा राज्य में।
2. सभी श्रम कल्याण अधिकारी हरियाणा राज्य में।
3. सभी श्रम निरीक्षक (कल्याण), हरियाणा राज्य में।

कमांकः HLWB/Scheme/2023/
दिनांकः

विषय : **हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में वित्तीय सहायता राशि बढाने की घोषणाओं उपरान्त बढी हुई राशि को लागू करने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि मान्नीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा विश्वकर्मा जयन्ती के शुभ अवसर पर **"राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस"** दौरान हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं में साईकिल योजना में 3000 रू0 से बढाकर 5000 रू0, सिलाई मशीन योजना में 3500 रू0 से बढाकर 4500 रू0 तथा छात्रवृति योजना में निम्न संशोधन किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

पढाई जारी रखने की कक्षा	छात्र व छात्राओं के लिए
9वीं से 10वीं	10,000 रूपये
आई0टी0आई0 डिप्लोमें के प्रत्येक वर्ष के लिए	10,000 रूपये
11वीं से 12वीं	12,000 रूपये
सभी प्रकार की स्नातक डिग्रियों तक के प्रत्येक वर्ष के लिए	15,000 रूपये
पोलीटैकनिक डिप्लोमें, सी0ए0, डी0 फार्मेसी, ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 तथा अन्य अंडरग्रेज्युएट डिप्लोमा तक के प्रत्येक वर्ष के लिए	15,000 रूपये
सभी प्रकार की इंजिनियरिंग डिग्री, बी0 फार्मेसी के प्रत्येक वर्ष के लिए	20,000 रूपये
सभी प्रकार की स्नातकोतर डिग्रीयों/ डिप्लोमें/बी0एस0सी0 नर्सिंग के प्रत्येक वर्ष के लिए	20,000 रूपये
सभी प्रकार की मैडीकल डिग्रीयों (एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0, बी0ए0एम0 एस0 आदि) के प्रत्येक वर्ष के लिए	21,000 रूपये

यह संशोधन इस नोटिफिकेशन की तिथि से प्रभावित होंगें।

—Sd—
उप श्रम आयुक्त (कल्याण), मुख्यालय
कृतेः कल्याण आयुक्त, हरियाणा

पृ0 कमांक : 6567-75 दिनांक : 12/10/2023

उक्त की एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजि सचिव, मान्नीय श्रम मन्त्री, हरियाणा सरकार।
2. निजि सचिव, आदरणीय प्रधान सचिव, श्रम विभाग, हरियाणा सरकार।
3. निजि सचिव, आदरणीय कल्याण आयुक्त, हरियाणा।
4. लेखा अधिकारी, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही के लिए है।
5. कंपयुटर प्रोग्रामर, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड को पोर्टल पर संशोधन बारे आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
6. सभी शाखाएं, मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए है।

उप श्रम आयुक्त (कल्याण), मुख्यालय
कृतेः कल्याण आयुक्त, हरियाणा